

- (फ) सार्वजनिक सड़कों, पुलिया, परिषद सीमा चिन्ह, मार्केट, बूचड़खाना, पेशाबघर, नालों, जल निकासी कार्य, स्नान और धुलाई के स्थानों, पेयजल के नलों, टैंकों, बाँधों जैसे स्थानों का निर्माण, रद्दोबदल तथा अनुरक्षण;
- (ब) निवासियों के स्वास्थ्य को वर्तमान जलापूर्ति की अपर्याप्तता के खतरों से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त तथा अतिरिक्त जलापूर्ति प्राप्त करना जब ऐसी आपूर्ति अथवा अतिरिक्त आपूर्ति उचित दर पर प्राप्त की जा सकती हो ।
- (भ) इन विनियमों के प्रयोजनो अथवा ग्राम परिषद की किसी भी सम्पत्ति के संरक्षण के लिए ग्राम परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस अथवा गाड़ों के संभाव्य खर्चों का और वेतन का भुगतान करना;
- (म) अकाल और किल्लत के समय ग्राम परिषद सीमा के भीतर लोगों को राहत प्रदान करना और राहत कार्य शुरू करना और रखरखाव करना ।

2. लोक निर्माण कार्यों के क्षेत्र में :-

- (क) सार्वजनिक सड़कों, स्थानों तथा स्थलों, जो निजी सम्पत्ति नहीं है, जो लोगों के लिए खुला है, चाहे ऐसे स्थल ग्राम परिषद अथवा सरकार के अधिकार में है या नहीं; से बाधाओं और प्रोजेक्शन को हटाना और रोकना;
- (ख) सार्वजनिक सड़कों, नालों, बाँधों और पुलों का निर्माण, अनुरक्षण तथा मरम्मत करना, बशर्ते कि ये सड़कें, नाले, बाँध और पुल किसी दूसरे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो । यदि ऐसा हो तो ऐसे कार्यों को उस प्राधिकरण के अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए ;
- (ग) ग्राम परिषद को सुपुर्द किए गए भवनों अथवा ग्राम परिषद के नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों, चरागाह भूमि, टैंकों तथा कुओं (सिंचाई के टैंकों तथा कुओं के अलावा) के उपयोग के नियमन और अनुरक्षण;
- (घ) गाँवों में प्रकाश व्यवस्था;
- (ङ) मेलों, बाजारों और कार पार्कों का नियन्त्रण;
- (च) बूचड़खानों का निर्माण, अनुरक्षण और नियंत्रण;
- (छ) मार्केट स्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पौध रोपण और उसका अनुरक्षण तथा संरक्षण;
- (ज) सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (झ) स्नान तथा धोबी घाटों, जिसका प्रबन्धन अन्य प्राधिकार द्वारा नहीं किया जाता हो, का प्रबन्धन और नियंत्रण;
- (ञ) मार्केटों की स्थापना और अनुरक्षण;
- (ट) ग्राम परिषद के सफाई कर्मचारियों और ग्राम कर्मियों के लिए मकानों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (ठ) काँजी हाऊस की स्थापना, नियन्त्रण और प्रबन्धन;
- (ड) रोजगार, विशेषकर किल्लत के समय रोजगार के प्रावधान के लिए कार्यों की स्थापना और अनुरक्षण;
- (ढ) ग्राम स्थलों का विस्तार और भवन और हाऊसिंग स्कीमों का नियंत्रण;
- (ण) मालगोदाम, दुकानों और इसी तरह के अन्य भवनों का निर्माण तथा अनुरक्षण;
- (त) समान्य उपयोग और विकास गतिविधियों के लिए भवनों का निर्माण और अनुरक्षण ।

3. प्राथमिक और नर्सरी शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में :-

- (क) शैक्षणिक संस्थानों का दौरा;
- (ख) पूछताछ के लिए उपस्थिति तथा अन्य रजिस्ट्रों की जाँच और शैक्षिक कमियों तथा गाँव की आवश्यकताओं के बारे में सम्बन्धित प्राधिकरण को रिपोर्ट देना;
- (ग) प्राथमिक और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के वार्षिक बजट पर सिफारिशें प्रस्तुत करना;
- (घ) ग्राम परिषद को प्रदत्त शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण और मरम्मत कार्य;
- (ङ) विद्यार्थियों की नियमितता; शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।